कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः—1835/ FP/UK/TRANS/39376/2019 देहरादूनः दिनांकः 9 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

सचिव (प्रभारी),
वन अनुभाग—3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः— जनपद—पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 400 के0वी0 डबल सर्किट विष्णु प्रयाग—मुजफ्फर नगर पारेषण लाईन के क्षतिग्रहस्त टावर संख्या 266 के स्थान पर दो टावरों का निर्माण हेतु 3.893 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/TRANS/39376/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, वि0 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **3.893 हे0** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/ उप वन संरक्षक, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव पर **प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय से पत्रावली पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त,** ऑनलाईन प्रपत्र भाग—**I** से भाग—**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग—**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षकएवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/TRANS/39376/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक/गढवाल, पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रस्ताव की एक फोटो प्रति अपने नियंत्राधीन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर, समय—समय पर प्रकरण की समीक्षा करते रहा जायें।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर—मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, जनपद—टिहरी गढ़वाल।
6. उप वन संरक्षक, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी ।
7. अधिशासी अभियन्ता, वि0 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षकएवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग—IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17—	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा पत्रावली पर सहमति के पश्चात प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर :

तिथि : 09-12-2021

नाम और पदनाम

स्थान : देहरादून

सरकारी मोहर

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।